प्रेषक,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक: म0भो0प्रा0/ सी–202 /2009–10 **दिनांक 12.05.2009**

विषयः **<u>मध्यान्ह भोजन योजना के सम्बन्ध में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 2007 में प्रस्तुत आपत्ति/सुझावों पर सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, 2007 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजना की परफार्मेन्स ऑडिट हेतु चयनित जनपदों में निरीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि शासन/प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु जारी आदेशों का सम्यक् अनुपालन जनपद स्तर पर नहीं किया गया है। आडिट रिपोर्ट में योजना के सम्बन्ध में कतिपय कमियों को इंगित करते हुए आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किए गये हैं। शासन द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के सुचारू संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु आपको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन/प्राधिकरण द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर दिए गये निर्देशों के अनुक्रम में मध्यान्ह भोजन योजना का नियमित पर्यवेक्षण/अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1. खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की विद्यालय स्तर पर समयान्तर्गत उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
2. खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में दिए गये निर्देशों के अनुक्रम में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान के विरूद्ध निर्धारित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण कर सैम्पल निर्धारित मात्रा में प्राप्त किए जायें। इसी तरह की कार्यवाही उठान एजेन्सी के गोदामों से खाद्यान्न उठान के समय सुनिश्चित की जाय। इस योजना हेतु प्राप्त खाद्यान्न के बोरों पर स्टैम्पिंग की कार्यवाही उठान एजेन्सी के स्तर पर सुनिश्चित कराई जाय।
3. टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत निरीक्षण किए जाय तथा निरीक्षण के समय विद्यालय में नामांकित एवं उपस्थिति/एम0डी0एम0 पंजिका में दर्शाये गये उपस्थित/भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या के साथ–साथ भौतिक रूप से उपस्थित छात्रों की संख्या को देखा जाय। इसके अतिरिक्त भोजन की गुणवत्ता, भोजन में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता, आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग एवं किचेन शेड तथा बर्तनों की पर्याप्त उपलब्धता को भी देखा जाय।
4. जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित मासिक बैठक की जाय, जिसमें टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित कमियों तथा अन्य स्रोतों यथा प्राप्त शिकायतों के आलोक में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाय। ब्लाक टास्क की बैठक के कार्यवृत्त अनिवार्य रूप जनपद स्तर पर प्राप्त किया जाय। इसी तरह जनपद स्तर की टास्क फोर्स की बैठक का कार्यवृत्त अनिवार्य रूप से जारी कर इसकी एक प्रति प्रतिमाह मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराई जाय।
5. विद्यालय में बनाये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु समय–समय पर खाद्यनिरीक्षकों द्वारा मध्यान्ह भोजन का सैम्पल प्राप्त कर उसकी जांच कराई जाय। इसके

साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा "राष्ट्रीय ग्रमीण स्वास्थ्य मिशन" के अन्तर्गत संचालित "स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में छात्रों का एक निश्चित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय तथा बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पोषकीय तत्वों एवं डिवार्मिंग औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय।

6. खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के उपभोग प्रमाण–पत्र को नियमित रूप से कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त किया जाय तथा कार्यदायी संस्था के स्तर पर इससे सम्बन्धित लेखों का निर्देशानुरूप रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाय।
7. कोटेदारों को योजनान्तर्गत खाद्यान्न के मासिक आवंटन की सूचना जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाय जबकि विद्यालयों को खाद्यान्न के मासिक आवंटन की सूचना सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाय।
8. विद्यालय के सूचना पट पर विद्यालय हेतु खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के मासिक आवंटन, उपभोग एवं उपलब्ध स्टाक का विवरण अंकित किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
9. जिन विद्यालयों में किचेन कम स्टोर का निर्माण हो गया है, वहाँ विद्यालय हेतु योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न को किचेन कम स्टोर में ही रखा जाय जिससे कि निरीक्षण के समय उक्त खाद्यान्न की गुणवत्ता को देखा जा सके।
10. योजनान्तर्गत एन0जी0ओ0 का चयन करते समय संस्था की कार्य क्षमता, आधारभूत संसाधन का भली भाँति परीक्षण कर लिया जाय तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि उक्त संस्था भारत सरकार/प्रदेश सरकार के किसी विभाग द्वारा Black Listed न हो। एन0जी0ओ0 से खाद्यान्न के उपभोग एवं परिवर्तन लागत के व्यय का मासिक विवरण प्राप्त किया जाय तदानुसार इनका नियमित रूप से समायोजन कराना सुनिश्चित किया जाय। परिवर्तन लागत के व्यय की जांच हेतु एक नियमित अन्तराल पर टास्क फोर्स के सदस्यों के माध्यम से सब्जियों तथा अन्य खाद्य पदार्थो आदि के क्रय सम्बन्धी बीजकों की जांच की जानी चाहिए। एन0जी0ओ0 से लेखा के सम्प्रेक्षित विवरण के साथ–साथ वार्षिक प्रतिवेदन भी अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाय। इसके अतिरिक्त पठ्न पाठ्न की प्रक्रिया में होने वाले व्यवधान से बचने के लिए एन0जी0ओ0 को विद्यालय प्रांगण को केन्द्रीय किचेन के रूप में उपयोग करने की अनुमति न दी जाय।

भवदीय

(एम0पी0 अग्रवाल)
निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

पृ0सं0: म0भो0प्रा0/ सी–202 /2009–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम0पी0 अग्रवाल)
निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0